कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, झांसी वन प्रभाग, झांसी

पत्रांक 545 /15–1 दिनांक, झांसी, 14-8 2019

सेवा में,

वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक,
बुन्देलखण्ड वृत्त, उ0प्र0,
झांसी।

विषय :– जनपद झांसी में झांसी–बबीना–ललितपुर राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 26 के किमी0 सं0 3 से 11 तक झांसी–हंसारी से खैलार की सीमा तक दोनो पटरी पर चौड़ार्दकरण/चार लेन में प्रभावित 14.80 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 945 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में ।

संदर्भ :– उत्तर प्रदेश शासन पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–2 का पत्रांक पी–920/84–2–2019–800(64), दिनांक 09.07.2019 एवं मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ का पत्रांक–190/11–सी–FP/UP/ROAD/39827/2019, दिनांक 24.07.2019 एवं आपका पत्रांक–323/33–1, दिनांक 26.07.2019 तथा अधिशाषी अभियन्ता (भवन विंग) लो0नि0 विभाग, झांसी का पत्रांक–779/वन प्रभाग/2019–20, दिनांक 09.08.2019

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र के अनुपालन विषयक प्रस्ताव में परीक्षण के उपरान्त लगाई गयी आपत्तियॉ कतिपय बिन्दुओं में बिन्दु सं0 1 से 3 तक आपत्तियॉ का निराकरण एवं संशोधित सूचना एवं तत्सम्बन्धी अभिलेखों सहित चार प्रतियों में अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु संस्तुति के साथ प्रेषित :–

Obseration No.	Observations of Goi	Reply
1	प्रस्ताव के पृष्ठ सं0–2 रक्षित परियोजना की स्वीकृति में झांसी–बबीना मार्ग (अन्य जिला मार्ग) किमी0 01 से 11 अंकित है, जबकि प्रस्ताव में किमी0 सं0 3 से 11 तक ही गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति प्राप्त किये जाने हेतु प्रस्तावित है। जिसमें विरोधाभास है।	परियोजना की स्वीकृति में झांसी–बबीना मार्ग (अ0जि0 मार्ग) किमी0 1 से 11 तक ही है, परन्तु किमी0 सं0 1 से 3 में फोर लेन चौड़ाईकरण हेतु कुछ भूमि सेना क्षेत्र मे पड़ रही है जिसकी एन0ओ0सी0 हेतु रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार से प्रयास किया जा रहा है। उक्त कारण होने की वजह से पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय का0 (मध्य) लखनऊ द्वारा प्रस्ताव में सेना क्षेत्र की एन0ओ0सी0 न होने के कारण पूर्व में प्रेषित प्रस्ताव वापस कर दिया गया। जिससे उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार सेना क्षेत्र से प्रभावित मार्ग के किमी0 सं0 1 से 3 तक के भाग को छोड़कर शेष भाग किमी0 सं0 3 से 11 तक का प्रस्ताव पुनः बनाकर प्रेषित किया गया है। अतः सेना क्षेत्र से प्रभावित मार्ग किमी0 सं0 1 से 3 तक की एन0ओ0सी0 रक्षा मंत्रालय भारत सरकार से प्राप्त हो जाने के पश्चात ही किमी0 सं0 1 से 3 तक का प्रस्ताव बनाकर अलग से प्रेषित किया जायेगा। तदानुसार किमी0 सं0 3 से 11 तक की अनुमति प्रदान करने की कृपा करें। अधिशाषी अभियन्ता (भवन विंग) लो0नि0 विभाग, झांसी का पत्रांक–779/वन प्रभाग/2019–20, दिनांक 09.08.2019 से प्रस्तुत किया संलग्न है।

2	प्रस्ताव के पृष्ठ सं0 94 पर रक्षित प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के प्रमाण पत्र में किमी0 04 से 11 तक अंकित है, जबकि प्रस्ताव में किमी0 सं0 3 से 11 किमी0 तथा मार्ग चौड़ाईकरण प्रस्तावित है, जिसमें विरोधाभास है।	अर्थोरिटी लेटर संशोधित कर दिया गया है तथा संशोधित अर्थोरिटी लेटर संलग्न है।
3	प्रस्ताव के पृष्ठ सं0 36 पर रक्षित प्रमाण पत्र में परियोजना में किमी0 सं0 6 से 8 के मध्य लगभग 1.70 किमी0 एवं 6 मी0 चौड़ाई में बिना अनुमति प्राप्त किये वनभूमि का गैर वानिकी कार्य किया गया, जिसके कारण वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा 2 का उल्लघंन पाया गया। उक्त उल्लघंन 1.02 हे0 के क्षेत्र में किया गया है, जिसकी अवधि 2.5 वर्ष अर्थात 30 माह है। भारत सरकार के दिशा–निर्देश दिनांक 29.01.2018 के आलोक में संबंधित कार्मिक/प्रयोक्ता के विरूद्व कार्यवाही किये जाने हेतु जांच अधिकारी की आख्या उपलब्ध करायी जाने के क्रम 30 माह तक किये गये उल्लघंन में असफल रहे विभागीय कार्मिक एवं प्रयोक्ता के विरूद्व कृत कार्यवाही की स्थिति भी स्पष्ट नहीं की गयी है।	दिनांक 26.01.2017 को झांसी बबीना मार्ग पर वन प्रभाग के तैनात वन विभाग अधिकारी/कर्मचारियों की तत्परता से झांसी–ललितपुर रा0रा0 मार्ग सं0 26 के किमी0 6 से 8 के मध्य परियोजना कार्य लो0नि0 विभाग झांसी द्वारा बिना अनुमति से कार्य करने पर एच–2 केस इजरा करते हुए नोटिस दिया गया तथा तत्काल प्रभाव से चौड़ाईकरण कार्य बन्द कराया गया। जिसमें वन विभाग उक्त प्रस्ताव के पूर्व प्रस्ताव को प्रस्तुत करने से पहले लोक निर्माण विभाग (भवन विंग) झांसी के ठेकेदार द्वारा परियोजना के किमी0 सं0 6 से 8 के मध्य लगभग 1.70 किमी0 दूरी तथा 6 मी0 चौड़ाई एवं 0.24 मी0 गहरी मिट्टी खोदकर एवं (एक वृक्ष प्रोसोपिस का जिसकी गोलाई 1.50 मी0 को मशीन द्वारा उखाड़ कर एक तरफ रख दिया गया) जिससे वनभूमि का क्षेत्रफल 1.02 हे0 अथवा 0.2448 घ0मी0 संरक्षित वनभूमि रोड साइट की बांयी पटरी मिट्टी खोद कर क्षति पहुंचाई गयी, जिसमें साधारण मिट्टी की रॉयल्टी को आधार मानकर 14.00 चौदह रू0 प्रति घ0मी0 की दर से मु0 34272.00 का क्षतिमूल्य एवं एक वृक्ष पोसोपिस जिसका मूल्य 150.00 कुल क्षति मूल्य 34422.00 के अतिरिक्त प्रतिकर पर्यावरणीय क्षति के रूप में 65578.00 कुल रू0 100000.00 (रू0 एक लाख मात्र) प्रतिकर जिसे भारतीय स्टेट बैंक, झांसी में चालान सं0 H-25-8182 से दि0 02.08.2019 से जमा धनराशि पर ई–3 रसीद सं0 4875/09, दिनांक 02.08.2019 ब्यानकर्ता वन अपराधियों के नाम जारी कर दी गयी। उक्त वन अपराध भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 33 के अन्तर्गत वन अपराध पाया गया, जिसके आधार पर केस को प्रसमन हेतु अन्तिम जांच रिपोर्ट रेज केस सं0 30/2016–17 झांसी रेंज, दि0 26.01.2017 की प्रभागीय केस सं0 115/2016–17 क्षेत्रीय वनाधिकारी झांसी व उप प्रभागीय वनाधिकारी, झांसी की संस्तुति के आधार पर दि0 05.08.2019 को प्रभागीय वनाधिकारी, झांसी द्वारा प्रसमित किया गया प्रति संलग्न है।

उक्त प्रस्ताव प्रश्नगत प्रकरण में पायी गयी कमियों का बिन्दुवार निराकरण कर संदर्भित पत्र के क्रम में निर्धारित प्रपत्र में किया गया है तथा आपत्ति सं0 1 एवं 2 के निराकरण में प्रति उत्तर प्रश्न के समक्ष स्पष्ट अंकित कर दिया गया है एवं आपत्ति सं0 3 के क्रम में निराकरण कर संलग्न एच–2 केस सं0 30/2016–17 की प्रसमन हेतु अंतिम जांच रिपोर्ट को क्षेत्रीय वनाधिकारी, झांसी एवं उप प्रभागीय वनाधिकारी, झांसी की संस्तुति पर एवं संलग्न ब्यानों आदि के साथ अवलोकन कर वन अपराध भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 33 के अन्तर्गत वन अपराध पाया गया। प्रयोक्ता अभिकरण/संलिप्त ठेकेदार द्वारा केस प्रसमन हेतु वन अपराध प्रसमन शुल्क के साथ केस के प्रसमित/समाप्त करने की मांग की गयी, जिसमें क्षेत्रीय वनाधिकारी/उप प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा केस प्रसमन हेतु संस्तुति की गयी। जिसके आधार पर मु0 100000.00 (एक लाख रू0) प्रतिकर जमा कराया गया। वन अपराध को प्रसमित कर दिया गया। वन विभाग अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा त्वरित कार्यवाही अमल में लायी गयी, उनके द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण के विरूद्व कृत कार्यवाही की गयी है।

अतः केस संस्तुति के साथ प्रसमन किया गया कृत कार्यवाही के अभिलेख चार प्रतियॉ मूल में अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

संलग्नक :– 1– रेंज केस सं0 30/2016–17, दि0 26.01.2017 झांसी रेंज ।
2– अंतिम जांच रिपोर्ट रेंज केस सं0 30/3016–17, दि0 03.08.2019 ।
3– नोटिस ।
4– नजरी मानचित्र ।
5– प्रतिकर जमा धनराशि के चालान की प्रति ।
6– ई–3 रसीद की छायाप्रति ।
7– लोक निर्माण विभाग के अधिकारीगण का बयान ।
8– सूरज सिंह ठेकेदार का बयान ।
9– प्रश्न आपत्ति सं0 1 तथा 2 का प्रति उत्तर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत उत्तर संलग्न सहित ।

भवदीय

प्रभागीय वनाधिकारी
झांसी वन प्रभाग, झांसी

पृष्ठांकन संख्या 545 /अ/समदिनांक

प्रतिलिपि मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ को उनके संदर्भित पत्र के क्रम में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि अधिशाषी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग (भवन विंग) झांसी को उनके संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

प्रभागीय वनाधिकारी
झांसी वन प्रभाग, झांसी